18(9) वकील वादी गैरहाजिर,

वादीगण स्वयं गैरहाजिर

प्रतिवादी एक वादी ग्राम को बाद कर आवेदन लिखाई गई कलमदर आवेदन के गैरहाजिर होने पर वादी का वाद मिडल पढ़ी एक अदद हाजरी से खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं तहसील सहायक कलक्टर
कलमेश्वर (नागपुर)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official